न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र ओझा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **685/15 (प्रा.पत्र)**

1. श्री नाथु पिता उदा (गोदपुत्र डालु) जाट निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम्

1. श्री माधु पिता सुरजमल जाट निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।
2. श्री गोदा पिता अमरचन्द जाट निवासी फलीचडा खेडी तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 30.01.2018

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा फलीचडा खेडी पटवार क्षैत्र फलीचडा तह. मावली में स्थित ''परिशिष्ट अ'' आराजी नम्बर 126 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम स्वतंत्र खातेदारी हक से अंकित हैं। नकल जमाबन्दी संलग्न हैं। ''परिशिष्ट ब'' में वर्णित आराजी नम्बर 125 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षीगण सं. 1, 2 के नाम संयुक्त रूप से हि.ब. खातेदारी हक से अंकित हैं। नकल जमाबन्दी संलग्न हैं।
2. परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी मुझ प्रार्थी की कृषि आराजीयात में आवागमन करने के लिए 12 फीट चौडा मार्ग मेरी अन्य आराजी न. 156 के पूर्व दिशा के सटमा रास्ता बना हुआ है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहा है जिससे होकर मैं प्रार्थी आराजी नम्बर 124, 168, 1223/124, 1224/124, 1225/124, 125 की पूर्वी एवं उत्तरी दिशा में बने हुए रास्ता सेर से होकर मैं प्रार्थी मेरी परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी में कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी, ट्रेक्टर द्वारा लाता ले जाता आ रहा हूं तथा इसी अनुसार रास्ते का सदीप से उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं। जिसका नजरी नक्शा इसके साथ पेश हैं जिसमें रास्ता को हरे रंग से दर्शाया गया हैं। नजरी नक्शा इस का एक अंग हैं।

3. मुझ प्रार्थी के पास परिशिष्ट अ में वर्णित कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा वर्तमान में काश्त का मौसम है परन्तु विपक्षीगण सं. 1, 2 द्वारा मुझ प्रार्थी की आराजी नम्बर 126 के पूर्वी दिशा में स्थित उनकी खातेदारी की परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी न. 125 की उत्तरी पूर्वी पाली पर बने रास्ते पर अतिक्रमण कर रास्तें को अपनी जमीन से मिलाकर जे.सी.बी. मशीन से 100 फीट लम्बाई एवं 6 फीट गहराई व 5 फीट चौडाई में खाई खुदवा रास्ता अवरूद्ध कर दिया। मैनें विपक्षीगण को समाझाईश करने की भी कोशिश की लेकिन विपक्षीगण नहीं मानें। इस प्रकार विपक्षीगण सं. 1, 2 ने आराजी न. 125 में बने रास्ते पर खाई खुदवा मुझे उक्त रास्ते से होकर मेरी जमीनों में आने जाने से रोक देने से मैं प्रार्थी विगत एक वर्ष से अपनी कृषि भूमि पर आ जा नहीं पा रहा हुं और न ही अपनी जमीनों की सार सम्भाल, हकाई, बाड वगैरा ही करवा सक रहा हूं और न ही मवेशियों के लिए घास वगैरा ही ला पा रहा हुं।

4. वर्तमान में मुझ प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए एकमात्र रास्ता कलम सं. 2 में वर्णितानुसार होकर ही है और उक्त रास्ते से होकर सुगमता पूर्वक मैं अपनी कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी ट्रेक्टर द्वारा ला व ले जा संकूगा। इसके अलावा मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए विपक्षी सं. 1 व 2 ने इन्कार कर दिया और मेरे साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हुए। इसलिए मुझ प्रार्थी की जमीनों में आवागमन करने के लिए विपक्षी सं. 1, 2 की संयुक्त खातेदारी की आराजी नम्बर 125 जिसका परिशिष्ट ब में वर्णन किया है उसकी उत्तरी पाली पर बैलगाडी, ट्रेक्टर सुगमता पूर्वक आ जा सके उतनी चौडाई का रास्ता कायम कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा उक्त स्थान पर खोदी गई खाई को पुनः भरवाया जाना आवश्यक हैं।

5. मुझ प्रार्थीयां ने उक्त रास्ता खुलवाये जाने बाबत् श्रीमान् तहसीलदार साहब मावली के समक्ष भी दिनांक 24.11.14 का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें श्रीमान् तहसीलदार साहब द्वारा पत्र क्रमांक राज/14/1325 दिनांक 24.11.14 के जरिए पटवारी हल्का फलीचडा को मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत् निर्देशित किया। श्रीमान् तहसीलदार साहब मावली के आदेश की पालना में दिनांक 17.12.14 को पटवारी हल्का फलीचडा ने मौतबीरान की मौजूदगी में मौका निरीक्षण कर मौका पर्चा तैयार किया और उपस्थित मौतबीरान के दस्तखत कराये। उक्त मौका पर्चा में भी पटवारी हल्का फलीचडा ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि

''आराजी न. 125 के उत्तरी पूर्वी कोने पर जे.सी.बी. से खाई खुदवा कर रास्ता बन्द कर रखा है जिससे प्रार्थी का आराजी न. 126 पर जाने का रास्ता बन्द हैं।''

6. हम प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मजबूत मामला है क्योंकि मुझ प्रार्थीयां की जमीन में आने जाने का एक मात्र रास्ता कलम सं. 2 में वर्णितानुसार ही बना हुआ है जिससे होकर ही मैं प्रार्थी सदीप से आ जा रहा हूं और अपनी कृषि उपज, संज, बैल, मवेशी, ट्रेक्टर, बैलगाडी वगैरा ला ले जाता रहा हूं। मेरी जमीन में आने जाने का अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं होने की वजह से वर्तमान में मैं अपनी जमीनों में जाकर खेतों साफ सफाई, बाड वगैरा भी नहीं करवा पा रहा हूं जबकि अभी काश्त का मौसम हैं। ऐसी अवस्था में मुझ प्रार्थी की जमीनों तक पहुंचने के लिए विपक्षी सं. 1, 2 की आराजी नम्बर 125 की उत्तरी पूर्वी पाली पर मार्ग कायम कराया जाना न्यायसंगत होकर आवश्यक है और विपक्षी सं. 1, 2 की आराजी नम्बर 125 की उत्तरी पूर्वी दिशा की पाली पर नया मार्ग कायम करना इसलिए भी सुविधाजनक है क्योंकि विपक्षी सं. 1, 2 की संयुक्त खातेदारी की उक्त भूमि सेर रास्ता एवं मेरी भूमियों के एकदम मध्य में है और निकट है तथा विपक्षी सं. 1, 2 की भूमि से पहले तक का पूरा रास्ता खुला हुआ हैं। इसलिए उपरोक्तानुसार मार्ग कायम करने से विपक्षी सं. 1, 2 को किसी तरह की कोई क्षति या असुविधा नहीं होगी। बल्कि नया मार्ग कायम नहीं करने से मैं प्रार्थी मेरी कृषि भूमि में आवागमन नहीं कर सकूंगा और सदैव के लिए मेरी जमीनों के उपयोग उपभोग से महरूम हो जाउंगा जिससे मुझ प्रार्थी को अतुलनीय एवं अपरिमित हानि होगी जिसका आंकलन किसी भी सूरत में किया जाना सम्भव नहीं होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति के बिन्दू भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में हैं।

7. मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण 25.8.15 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी सं. 1, 2 को मुझ प्रार्थीयां ने मेरी कृषि भूमि तक पहुंचने के लिए उनकी उक्त जमीन पर रास्ता देने बाबत् निवेदन किया तो विपक्षी सं. 1, 2 ने इन्कार कर दिया और मेरे साथ लडाई झगडा करने पर उतारू हुए। उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

8. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जावें कि परिशिष्ट अ में अंकित आराजी पर पहुंचने के लिए परिशिष्ट ब में अंकित विपक्षी सं. 1, 2 की संयुक्त खातेदारी की आराजी के उत्तरी पूर्वी पाली पर 12 फीट चौडा (ट्रेक्टर, बैलगाडी सुगमता पूर्वक गुजरने की चौडाई में) मार्ग कायम किया जावें एवं उक्त भूमि में कायम किये गये मार्ग का रास्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शें में ''रास्ता'' के रूप में अमल दरामद व तरमीम किये जाने हेतु विपक्षी

सं. 3 को आदेशित किया जावें तथा जो भूमि रास्ते हेतु चाही गयी है उसकी किमत डी.एल.सी. की रेट से या न्यायालय द्वारा जो भी तय की जावें प्रार्थी से विपक्षी सं. 1, 2 को दिलाई जावें। विपक्षी सं. 1, 2 को इस आशय की निषेधाज्ञा से पांबद किया जावें कि विपक्षी सं. 1, 2 प्रार्थी को उक्त रास्ता से होकर उसकी कृषि भूमियों में शांतिपूर्वक आवागमन करने देवे और कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी, ट्रेक्टर द्वारा लाने ले जाने में कोई व्यवधान पैदा नहीं करें, उक्त रास्ता को न अवरूद्ध करें, न बाधित करें, प्रार्थी को उक्त मार्ग का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करें, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन इत्यादि से ही करावें।

9. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण द्वारा पर्याप्त अवसर दिया जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया, जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बन्द किया गया। प्रकरण में विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. का पेश किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली से बिन्दुवार रिपोर्ट मंगवाई गई।

10. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा दस्तावेज तहसीलदार मावली के प्रकरण सं. 2/15 निर्णय दिनांक 13.08.2015 की प्रति प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि इसी प्रकार का प्रकरण तहसीलदार मावली के यहां पूर्व में विचाराधीन हैं। प्रार्थीगण पहले से ही दूसरे खेत से आ जा रहे हैं। इनका फौजदारी प्रकरण भी चल रहा हैं। हमारे खेतों में कभी रास्ता नहीं रहा है। जबरदस्ती रास्ता कायम कराने पर उतारू हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

11. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार मावली से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थी खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता हैं ?

प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौजा फलीचडा खेडी में स्थित प्रार्थी की भूमि आराजी नम्बर 126 में जाने हेतु

खातेदारी आराजी नम्बर 168, 124, 1223/124, 1224/124, 1225/124 में होकर 13 फीट चौडा कच्चा रास्ता बना हुआ हैं उक्त रास्ता बिलानाम गैर काबिल काश्त रास्ता आराजी नम्बर 169 में से होकर भी जा रहा हैं। जो आराजी नम्बर 125 तक जाता हैं। उससे आगे आराजी नम्बर 126 में जाने हेतु आराजी नम्बर 125 में होकर जाना पडता हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं होने का कथन किया हैं।

2. क्या प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला हैं।

   तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी आराजी नम्बर 125 में से 177 फीट लम्बा व 13 फीट चौडा रास्ता चाहता हैं। जो प्रार्थी के खेत में जानें के लिए सबसे न्यूनतम दूरी का रास्ता होना बताया हैं।

3. यदि प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता हैं तो वह प्रस्तावित करें।

   तहसीलदार मावली द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्तें के अलावा इससे न्यूनतम दूरी का कोई रास्ता नहीं होना बताया हैं।

4. प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्याकंन प्रस्तुत करें।

   तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी विपक्षी के आराजी नम्बर 125 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा में से रास्ता चाहा गया हैं जिसका रकबा 3 बिस्वा भूमि प्रस्तावित की गई हैं। जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 110030/– अक्षरे एक लाख दस हजार तीस रूपयें प्रतिबीघा हैं। जिस आधार पर प्रस्तावित रास्ता 3 बिस्वा की कुल कीमत 16,505 अक्षरे सौलह हजार पांच सौ पांच रूपयें होना बताया हैं।

12. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी आराजी नम्बर 126 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की भूमि आराजी नम्बर 125 में से होकर रास्ता चाह रहे हैं। रास्ता पूर्व में चला आ रहा हैं जो आराजी नम्बर 125 में होकर आराजी नम्बर 126 तक जाता हैं। विपक्षी सं. 1, 2 की आराजी में से प्रस्तावित रास्ते का रकबा 3 बिस्वा हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। न्यूनतम दूरी वाला 3 बिस्वा का रास्ता तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा दस्तावेज के तहत् तहसीलदार मावली के यहां

प्रकरण सं. 2/15 विविध नाथु बनाम दलीचन्द पेश किया जो तहसीलदार मावली से दिनांक 13.08.2015 को निर्णय पारित कर रास्तें की दाद हेतु सक्षम न्यायालय में वाद पेश करने हेतु निर्देशित करते हुए खारिज किया गया हैं। चूंकि तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में 3 बिस्वा भूमि का रास्ता प्रस्तावित किया हैं। अन्य कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 जा.दी. बाबत् तहसीलदार मावली में विचाराधीन प्रकरण दिनांक 13.08.2015 को ही निर्णित हो चुका हैं। रिपोर्ट अनुसार अन्य कोई रास्ता नहीं होना बताया हैं। अतः विपक्षी का प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. का सारहीन होने से खारिज किया जाता हैं एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : <u>आदेश</u> : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा फलीचडा खेडी पटवार हल्का फलीचडा की आराजी नम्बर 126 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा में आने जाने हेतु विपक्षी सं. 1, 2 की आराजी नम्बर 125 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से 3 बिस्वा भूमि रास्ता आराजी नम्बर 125 से 126 तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. दर 110030/— अक्षरे एक लाख दस हजार तीस रूपयें प्रतिबीघा के हिसाब से प्रस्तावित रकबा 3 बिस्वा की कुल कीमत 16,505/— का दुगुना 33,010/— राशि प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी सं. 1, 2 को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। इस भूमि को अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुलवाया जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली